न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 364/पीबीआर/2017 विरूद्ध आदेश दिनांक 17.08.2016 पारित द्वारा राजस्व निरीक्षक, वृत्त-2, तहसील हुजूर, जिला भोपाल प्रकरण क्रमांक 124/अ-12/15-16.

लीलाकिशन, कामता प्रसाद, जगदीश,
तीनों के पिता स्व. मदनलाल
तीनों निवासीगण-ग्राम मालीखेड़ी,
तहसील हुजूर, जिला भोपाल, म.प्र. ....आवेदकगण

विरूद्ध

छोटेलाल आ. श्री रामचन्द्र
निवासी ग्राम मालीखेड़ी,
तह. हुजूर, जिला भोपाल, म.प्र. ....अनावेदक

श्री बी.एम. मिश्रा, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री नागेश्वर राव, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 15/5/19 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक, वृत्त-2, तहसील हुजूर, जिला भोपाल द्वारा पारित दिनांक 17.08.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक श्री छोटेलाल आ. श्री रामचन्द्र, निवासी ग्राम मालीखेड़ी, तहसील हुजूर, जिला भोपाल द्वारा राजस्व निरीक्षक, वृत्त-2, तहसील हुजूर, जिला भोपाल के समक्ष एक आवेदन पत्र संहिता की धारा 129 के अंतर्गत प्रस्तुत कर ग्राम सूखी सेवनिया की भूमि सर्वे नंबर464/1, 465/1, 466/1, 467/5, 470/3, 471, 472,

475/2, 476/1, 477/2, 478/2 एवं 483/4 कुल रकबा 5.210 हैक्टेयर का सीमांकन किये जाने का अनुरोध किया गया। अनावेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के आधार पर राजस्व निरीक्षक वृत्त-2 द्वारा प्र.क्र. 124/अ-12/15-16 दर्ज कर सीमांकन आदेश दिनांक 17.08.2016 पारित किया गया। राजस्व निरीक्षक के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) अधीनस्थ न्यायालय राजस्व निरीक्षक आवेदकगण को सूचना पत्र बिना पते के जारी किये बिना सीमांकन की कार्यवाही अनावेदकगण को संहिता की धारा 115-116 में बंदोबस्त त्रुटि को सही कराकर बिना सुनवाई का अवसर दिये की गई है, जिसे निरस्त किया जाये।

(2) अनावेदक के द्वारा अपने प्रकरण में राजस्व निरीक्षक के सूचना पत्र में किसी भी मेड पड़ोसी को उसके पते पर सूचना भेजे बिना सीमांकन की कार्यवाही निष्पादित की गई है, जो कि प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्ती योग्य है, क्योंकि सीमांकन की कार्यवाही में मेड पड़ोसियों को व्यक्तिशः सूचना उनके पते पर देना विधि का आज्ञापक नियम है, जिसे राजस्व निरीक्षक द्वारा नहीं किया गया है, जिस परिप्रेक्ष्य में की गई कार्यवाही को निरस्त किया जावे।

(3) उपरोक्त समस्त कार्यवाही राजस्व निरीक्षक द्वारा मेड पड़ोसियों को विधिवत सूचना पत्र जारी किये बिना मेड़ पड़ोसी कृषकों की अनुपस्थिति में सीमांकन की कार्यवाही की गई है, जो कि निरस्ती योग्य है।

(4) आवेदकगण की भू आराजी खसरा क्र. 476 रकबा 0.83 हैक्टेयर पर बिना सहमति, बिना सूचना, बिना आवेदन बिना कलेक्टर की अनुमति के, नक्शे में विभाजन कर दिया गया है, जिससे संबंधित विधिवत निगरानी क्र. 2873/पी/16 इस न्यायालय में प्रचलित है व जब तक उक्त प्रकरण कार्यवाही में अंतिम विनिश्चय नहीं हो पाता, के परिप्रेक्ष्य में अधिकाररहित कार्यवाही से प्राप्त खसरा क्र. 476 रकबा 0.83 हैक्टेयर पर की गई सीमांकन की कार्यवाही जो कि अधिकाररहित होने से निरस्ती योग्य है, जिसे निरस्त किया जावे।

अतः उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय राजस्व निरीक्षक द्वारा विधिसंगत सीमांकन आदेश पारित किया गया है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है। अतः उनके द्वारा निगरानी निरस्त कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्थिर रखने का अनुरोध किया गया।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय राजस्व निरीक्षक द्वारा आवेदकगण को उसके पते पर विधिवत नोटिस भेजा गया था, जिसे आवेदकगण द्वारा लेने से इंकार किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा टी.सी.एम. मशीन से प्रश्नाधीन भूमि का विधिवत् सीमांकन कर सीमांकन आदेश पारित किया गया है, जो कि वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर राजस्व निरीक्षक, वृत्त-2, तहसील हुजूर, जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.08.2016 स्थिर रखा जाता है। निगरानी निरस्त की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर